न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– प्रिया बजाज आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या :– 145/2016 (जीसीएमएस 2016/00106)

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना, जिला श्रीगंगानगर राज.।
....वादी

बनाम

1. दिलपुनीत सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति जटसिक्ख साकिन ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. श्रीमती सुखदेव कौर पत्नी साधुसिंह जाति जटसिक्ख साकिन ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कृषि विकास, पु0म0 घड़साना।

....प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. वादी स्टेट की ओर से राजपैरोकार।
2. श्री संदीप यादव वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1) अ
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22.01.2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177(1) अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील घड़साना के चक 4 केएम के प0नं0 206/08 के किला नं. 1 ता 15 की कुल 3.795 हैक्टेयर कमाण्ड रकबा श्री दिलपुनीत सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति जटसिक्ख साकिन ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक 4 केएम के मु0नं0 206/08 का किला नं0 16 ता 25 का 2.530 है0 कमाण्ड रकबा श्रीमती सुखदेव कौर पत्नी साधुसिंह जाति जटसिक्ख साकिन ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक 4 केएम के मु0नं0 206/08 का किला नं0 1 ता 15 का 3.795 है0 कमाण्ड व चक 4 केएम के मु0नं0 206/08 का किला नं0 16 ता 25 का 2.530 है0 कमाण्ड रकबा पर अप्रार्थी कृषि कार्य ही कर सकता है। अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। मौका पर चक 4 केएम के मु0 नं0 206/08 के किला नं0 9,10,11,20 में अवैध रूप से जिप्सम खुदाई करना पाया गया है। दिनांक 07.09.2016 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग किया जा रहा है, की रिपोर्ट की गई है। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि कार्य मौका पर आबादी बसी हुई है। जो कि बिना अनुमति से है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1)(अ) का उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि को अकृषि कार्य उपयोग में लेना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा बिना अधिकार के बिना अनुमति के कृषि भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि कार्य उपयोग में लिये जाने से इनके विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

अधिनियम के तहत बनता है। अप्रार्थीगण को आवंटित रकबा का आवंटन निरस्त किये जाने तथा अप्रार्थी की भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित आने पर जवाब हेतु अनेक अवसर दिये गये। फिर भी जवाब पेश नहीं अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बन्द किया गया। बहस सुनी गई। दिनांक 23.12.2019 को वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की भूमि को रकबाराज घोषित किया गया।

उक्त निर्णय की अपील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में की गई। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.12.2019 को निरस्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर दोनों पक्षों को सुनकर कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दिनांक 19.02.2021 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को तलब किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कृषि विकास, पु0म0 घड़साना की ओर से दिनांक 18.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 1 नियम 10 व सहपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के बैंक से उक्त वर्णित विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा केसीसी ऋण ले रखा है। इसलिए उक्त भूमि पर होने वाले किसी भी प्रकार के निर्णय से प्रार्थी के अधिकार प्रभावित होंगे। अतः उक्त प्रकरण में प्रार्थी के हित व हक निहित होने के कारण प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व सहपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कृषि विकास, पु0म0 घड़साना का नाम वादपत्र में बतौर प्रतिवादी संख्या 3 पर लाल स्याही से अंकन कर दर्ज किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में चक 4 केएम का मु0नं0 206/08 का कि0नं0 1 ता 15 का 3.795 है0 कमाण्ड रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से व कि0नं0 16 ता 25 का 2.530 है0 कमाण्ड अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना रिकॉर्ड का तथ्य है। मद संख्या 2 में जिस तरह से दर्ज किया गया कि उक्त कृषि भूमि मु0नं0 206/08 के कि0नं0 9,10,11,20 में अवैध रूप से जिप्सम खुदाई करना पाया है अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से उक्त किलाजात में से अनाधिकृत रूप से जिप्सम की खुदाई नहीं की जा रही थी बल्कि उक्त समस्त कृषिभूमि मौका पर समतल है तथा कृषि योग्य है जिसमें अप्रार्थीगण कृषि कार्य अर्थात फसल काश्त बिजाद का कार्य करते है किसी भी प्रकार से अकृषि कार्य नहीं करते तथा वर्तमान में भी मौका पर भूमि समतल है व हम अप्रार्थीगण की फसल काश्त की हुई है चूंकि अप्रार्थीगण काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा हम अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमि की काश्त पर ही निर्भर है चूंकि मौका पर हम अप्रार्थीगण की फसल काश्त की हुई है ऐसी स्थिति में मौका की पुनः जांच करवाई जानी आवश्यक है ताकि श्रीमान न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रकट हो

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

सके। मद संख्या 3 जिस तरह से दर्ज की गई है स्वीकार है उक्त कृषि भूमि में से हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी से अकृषि कार्य अथवा जिप्सम खुदाई का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही इसका उपयोग अकृषि कार्य हेतु किया गया बल्कि मौका पर काश्त की हुई है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जो कथित रिपोर्ट दिनांक 07.09.2016 को दी गई है वह मिलीभक्त से तैयार करके अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। मद संख्या 4 अस्वीकार है हम अप्रार्थीगण द्वारा अकृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया गया और ना ही मौका पर कोई आबादी बसी हुई है चूंकि इस मद में वर्णित अनुसार मौका मौका पर आबादी बसी हुई है ऐसी स्थिति में भी पुनः मौका जांच करवाई जानी आवश्यक है ताकि कथित आबादी के संबंध में वस्तु स्थिति श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रकट हो सके। मद संख्या 5 अस्वीकार है हम अप्रार्थीगण कृषि भूमि से अकृषि कार्य नहीं किया है बल्कि मौका पर हम अप्रार्थीगण की भूमि कृषि भूमि ही है और वर्तमान में फसल काश्त की हुई है हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना नहीं की है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को रकबा राज घोषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। मद संख्या 6 अस्वीकार है वाद पत्र दो प्रतियों में पेश नहीं होने के कारण काबिल निरस्ती के है। मद संख्या 7,8,9 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र गलत व बिना किसी विधिक प्रक्रिया तथा बिना मौका जांच किए मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की मद संख्या 1 रिकॉर्ड से संबंधित है। मद संख्या 2 पूर्ण जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है क्योंकि तहसील घड़साना के चक 4 केएम के प0नं0 206/08 के किला नं0 1 ता 15 कुल रकबा 3.795 है0 कमाण्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं चक 4 केएम के प0नं0 206/08 के किला नं0 16 ता 25 कुल रकबा 2.530 है0 कमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से खातेदारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नियमानुसार उक्त भूमि को कृषि कार्य के लिए उपभोग में ले रहे थे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो मुताबिक रिकार्ड उक्त भूमि पर समस्त हक प्राप्त है इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा ऋण के लिए निवेदन किया गया था जिस उक्त भूमि के संबंधित बैंक ने पूर्ण जांच पड़ताल कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम नियमानुसार ऋण स्वीकृति किया जिसे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने समय–समय पर प्रतिवादी संख्या 3 बैंक से प्राप्त किया है। तदुपरान्त उक्त भूमि बैंक के नाम से रिकॉर्ड में रहन दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त भूमि बैंक के रहन दर्ज है यदि उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाता है तो बैंक ऋण वसूली में अड़चन पैदा होगी एवं बैंक अपनी ऋण राशि की वसूली से महरूम हो जावेगा यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काश्तकारी की शर्तों की उल्लंघना कर रहा है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एमएमआरडी अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही कर अवैध खनन को रोका जा सकता है। मद संख्या 3 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। पटवारी रिपोर्ट गलत तथ्यों पर तैयार की गई है। मद संख्या 4 में अंकित तथ्य मिथ्या, मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि पर आबादी भूमि नहीं बसी हुई है। मद संख्या 5 जिस प्रकार से अंकित की है स्वीकार नहीं। उक्त भूमि बैंक के रहन है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम या आवंटन निरस्त करने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 की ऋण वसूली की कार्यवाही प्रभावित होगी जो कि न्यायहित में नहीं है। मद संख्या 6, 7 कानूनी है। मद संख्या 8 अस्वीकार है जो

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

क्षेत्राधिकार में नहीं है। मद संख्या 9 कानूनी है। इसके अतिरिक्त कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 एक राष्ट्रीयकृत बैंक है बैंक ने उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से कृषि ऋण मन्जूर किया है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र में इच्छित कार्यवाही किये जाने की स्थिति में बैंक की ऋण राशि की वसूली में अड़चन पैदा होगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अभी दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय हर्जा–खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः–

1. आया कि वादी चक 4 केएम का प0नं0 206/08 के किला नं0 1 ता 25 कृषि भूमि में से किला नं0 9,10,11,20 में प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के अकृषि कार्य करते हुए जिप्सम का अवैध खनन करने पर उक्त कृषि भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का अधिकारी है।

...सिद्ध करने का भार वादी

2. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है।

...सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण

प्रकरण में तनकीयात कायम कर वादी एवं प्रतिवादीगण के साक्ष्य प्राप्त किये गये। साक्ष्य वादी में स्टेट की ओर पैरोकार राज को बार–बार अवसर देने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः साक्ष्य वादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 दिलपुनीत व प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव कौर की ओर से शपथ पत्र पेश किये गये।

साक्ष्य के उपरान्त पैरोकार उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस राजपैरोकार ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया एवं वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद कारण नहीं है व फर्द मौका रिपोर्ट में प्रतिवादी उपस्थित नहीं है एवं पटवारी की दैनिक रिपोर्ट की प्रति भी पेश नहीं की गई, वादी द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाया गया, पटवारी रिपोर्ट भी प्रदर्श नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है और ना ही मौका पर कोई आबादी बसी हुई है। पटवारी द्वारा केवल कयास के आधार पर ही रिपोर्ट की गई जिसके आधार पर ही यह वाद पेश हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपनी उक्त वर्णित भूमि पर कभी कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का बिन्दुवार विश्लेषण निम्न प्रकार से पाया जाता है–

- **तनकी संख्या 1** : आया कि वादी चक 4 केएम का प0नं0 206/08 के किला नं0 1 ता 25 कृषि भूमि में से किला नं0 9,10,11,20 में प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के अकृषि कार्य करते हुए जिप्सम का अवैध खनन करने पर उक्त कृषि

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का अधिकारी है? को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादी द्वारा न तो पटवारी की दैनिक डायरी की प्रति पेश की गई है और न ही साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मौके पर बिना अनुमति के अकृषि कार्य किया गया था। इस प्रकार वादी की ओर से इस तनकी को प्रमाणित नहीं किया जा सका। पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में वादाधीन भूमि में प्रतिवादीगण की फसल काश्त की हुई है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

- **तनकी संख्या 2** : आया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का शपथ पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से अनाधिकृत रूप से जिप्सम की खुदाई नहीं की जा रही थी बल्कि उक्त समस्त कृषि भूमि मौका पर समतल है तथा कृषि योग्य है जिसमें प्रतिवादीगण कृषि कार्य अर्थात फसल काश्त बिजाद का कार्य करते है किसी भी प्रकार से अकृषि कार्य नहीं करते तथा वर्तमान में भी मौका पर भूमि समतल है व हम प्रतिवादीगण की फसल काश्त की हुई है। मौका पर कोई आबादी नहीं बसी हुई है। इससे प्रतीत होता है कि वादी के पास कोई ठोस वाद कारण मौजूद नहीं था। इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में पूर्णतः साबित किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार विश्लेषण करने के उपरान्त पाया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी विवादित कृषि भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी द्वारा पेश किए गए वाद पत्र के कथनों को एवं वाद के दौरान कायम की गई तनकीयात को उचित साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाने पर वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

प्रिया बजाज
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

(आर्डर 20 ,रूल 6–7,जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम घड़साना जिला श्रीगगांनगर (राजस्थान)
व इजलास प्रिया बजाज आर.ए.एस.
स्टेट बनाम दिलपुनीत सिंह आदि
दावा बाबत् 177(1) अ आरटी एक्ट

मुकदमा नं :– 145/2016 (जीसीएमएस 2016/00106)

यह मुकदमा आज वास्ते डिक्री अदालत में उपस्थित राजपैरोकार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप यादव की गवाही में वादी स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व घड़साना एवं प्रतिवादीगण दिलपुनीत सिंह तथा सुखदेव कौर के प्रकरण में आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी द्वारा पेश किए गए वादपत्र के कथनों को एवं वाद के दौरान कायम की गई तनकीयात को उचित साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाने पर वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 01 सन् 2026 को जारी की गई ।

दस्तखत/मुद्रा ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान					
योग			योग		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।